भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

30.07.2025 के

तारांकित प्रश्न सं. 152 का उत्तर

किसानों/भूस्वामियों को मुआवजा

*152. श्री मुरारी लाल मीना:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बुधनी से इंदौर नई बड़ी लाइन परियोजना के लिए अधिगृहीत की गई भूमि और अब तक संवितरित मुआवजे की राशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भूमि अधिग्रहण और मुआवजा संवितरण की प्रक्रिया में कोई असमानताएं/विसंगतियां पाई गई हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन विसंगतियों को दूर करने के लिए अब तक की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है और किसानों/भू-स्वामियों के कितने मामले अभी भी लंबित हैं; और

(घ) शेष किसानों को मुआवजा कब तक दिए जाने की संभावना है और इस संबंध में क्या कार्य-योजना, यदि कोई हो, बनाई गई है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

दिनांक 30.07.2025 को लोक सभा के तारांकित प्रश्न सं. 152 के भाग (क) से (घ) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) से (घ): इंदौर-बुदनी (205 किलोमीटर) के बीच 3262 करोड़ रु. की लागत पर नई लाइन परियोजना को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना को "विशेष रेलवे परियोजना" के रूप में अधिसूचित किया गया है।

इस परियोजना का संरेखण मध्य प्रदेश के इंदौर, देवास और सीहोर जिलों से होकर गुजरता है। परियोजना के लिए जून-2025 तक 1627 करोड़ रु. का व्यय किया गया है और वर्ष 2025-26 के लिए 555 करोड़ रु. का परिव्यय आवंटित किया गया है। इस परियोजना का कार्य शुरू कर दिया गया है।

इस परियोजना में 1438 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण शामिल है जिसमें 1268 हेक्टेयर निजी भूमि और 170 हेक्टेयर सरकारी भूमि शामिल है। कुल 1438 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण का कार्य सौंपने के लिए भूमि अधिग्रहण सक्षम प्राधिकारी (सीएएलए) द्वारा अनुमोदित किया गया है, जिसमें से 1269 हेक्टेयर भूमि का कब्जा रेलवे को दे दिया गया है। भूमि अधिग्रहण सक्षम प्राधिकारी (सीएएलए) द्वारा इस भूमि अधिग्रहण के लिए मुआवजे की कुल राशि 721 करोड़ रुपए आंकी गई है। भूमि अधिग्रहण के लिए मुआवज़े की राशि रेलवे द्वारा जमा कर दी गई है। इस परियोजना से संबंधित प्रभावित व्यक्तियों को मुआवज़ा राशि का संवितरण राज्य सरकार प्राधिकारियों द्वारा किया जा रहा है।

रेलवे द्वारा संबंधित राज्य/ज़िला प्राधिकारियों के माध्यम से भूमि अधिग्रहण किया जाता है। भूमि अधिग्रहण से संबंधित सभी कार्यकलापों, जैसे भू-विस्थापितों को मुआवज़े की राशि का आकलन आदि राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में हैं।

भूमि अर्जन के लिए राज्य सरकार के राजस्व विभाग द्वारा भू-विस्थापितों को रेलवे से मुआवज़े की माँग करने के पश्चात मुआवजा प्रदान किया जाता है। यह प्रक्रिया भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का पालन करते हुए, राज्य सरकारों के समन्वय से की जाती है।

मध्य प्रदेश राज्य में पूर्णतः/आंशिक रूप से पड़ने वाली रेल अवसंरचना परियोजनाएँ भारतीय रेल के उत्तर मध्य रेलवे, पश्चिम मध्य रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे, पश्चिम रेलवे, मध्य

रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोनों के अंतर्गत आती हैं। रेल परियोजनाओं का लागत, व्यय और परिव्यय सहित क्षेत्रीय रेलवे-वार विवरण भारतीय रेल की वेबसाइट पर सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध कराया जाता है।

दिनांक 01.04.2025 की स्थिति के अनुसार, मध्य प्रदेश राज्य में पूर्णत:/अंशत: पड़ने वाली 89,543 करोड़ रुपये की लागत की 4,740 कि.मी. कुल लंबाई वाली 24 रेल परियोजनाएं (08 नई लाइन, 02 आमान परिवर्तन और 14 दोहरीकरण) योजना और कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं, जिनमें से 2,092 कि.मी. लंबाई को कमीशन कर दिया गया है और मार्च, 2025 तक 41,401 करोड़ रु. का व्यय किया गया है। कार्यों की स्थिति का सार निम्नानुसार है:-

योजना शीर्ष	परियोजनाओं की संख्या	कुल लंबाई (कि.मी. में)	कमीशन की गई लंबाई (कि.मी. में)	मार्च, 2025 तक किया गया व्यय (करोड़ रुपये में)
नई लाइन	8	1914	544	15069
आमान परिवर्तन	2	809	430	6766
दोहरीकरण/मल्टीट्रैकिंग	14	2017	1118	19566
कुल	28	4,740	2,092	41,401

मध्य प्रदेश राज्य में पूर्णत:/अंशत: पड़ने वाले अवसंरचना और संरक्षा संबंधी कार्यों के लिए बजट आबंटन निम्नानुसार है:

अवधि	परिव्यय
2009-14	632 करोड़ रुपये/वर्ष
2025-26	14,745 करोड़ रुपये (23 गुना से अधिक)

वर्ष 2009-14 और 2014-25 के दौरान मध्य प्रदेश राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाले नए रेलपथों की कमीशनिंग/बिछाने का ब्यौरा निम्नानुसार है-

अवधि	कमीशन किए गए नए रेलपथ	नए रेलपथों की औसत कमीशनिंग
2009-14	145 कि.मी.	29 कि.मी. प्रति वर्ष
2014-25	2651 कि.मी.	241 कि.मी. प्रति वर्ष (8 गुना से अधिक)

मध्य प्रदेश में पूर्णतः/आंशिक रूप से आने वाली हाल ही में पूरी हुई कुछ परियोजनाओं का विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	परियोजना का नाम	नवीनतम लागत (करोड़ रु. में)
1	गुना-इटावा नई लाइन (348 किलोमीटर)	683
2	जबलपुर-गोंदिया आमान परिवर्तन (300 किलोमीटर)	2005
3	छिंदवाड़ा-नागपुर आमान परिवर्तन (150 किलोमीटर)	1512
4	छिंदवाड़ा-मंडला फोर्ट आमान परिवर्तन (182 किलोमीटर)	1268
5	खोदरी-अनूपपुर दोहरीकरण (62 किलोमीटर)	489
6	इटारसी-बुदनी तीसरी लाइन (25 किलोमीटर)	286
7	भोपाल-बीना तीसरी लाइन (145 किलोमीटर)	1075
8	बरखेरा-हबीबगंज तीसरी लाइन (41 किलोमीटर)	473
9	पेंड्रा रोड-अनूपपुर तीसरी लाइन (50 किलोमीटर)	394
10	बीना-कोटा दोहरीकरण (283 किलोमीटर)	2477
11	नीमच-चित्तौड़गढ़ दोहरीकरण (56 किलोमीटर)	560
12	बिलासपुर में फ्लाईओवर के साथ खोदरी-अनूपपुर दोहरीकरण (72 किलोमीटर)	792
13	बुदनी-बरखेरा तीसरी लाइन (27 किलोमीटर)	1703
14	इंदौर-उज्जैन दोहरीकरण (79 किलोमीटर)	757
15	अनुपपुर-कटनी तीसरी लाइन (165 किलोमीटर)	2311
16	रमना-सिंगरौली दोहरीकरण (160 किलोमीटर)	2436
17	करैला रोड- शक्तिनगर दोहरीकरण (32 किलोमीटर)	763

मध्य प्रदेश में पूर्णतः/आंशिक रूप से पड़ने वाली कुछ मुख्य परियोजनाएं, जो शुरू की गई हैं, निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	परियोजना	लागत (करोड़ रु. में)
1.	मनमाड-इंदौर नई लाइन (309 किलोमीटर) (धुले-नरदाना (51 कि.मी.) को छोड़कर - पृथक रूप से स्वीकृत)	16320
2.	रामगंजमंडी-भोपाल नई लाइन (189 किलोमीटर)	5073
3.	इंदौर-बुदनी नई लाइन (198 किलोमीटर)	7474
4.	ललितपुर-सतना, रीवा-सिंगरौली और महोबा-खजुराहो नई लाइन (541 किलोमीटर)	8914
5.	दाहोद-इंदौर नई लाइन (205 किलोमीटर)	4095
6.	छोटा उदयपुर-धार नई लाइन (147 किलोमीटर)	1794
7.	नीमच-बड़ी सादड़ी नई लाइन (48 किलोमीटर)	495
8.	कोटा तक विस्तार के साथ ग्वालियर-श्योपुरकलां आमान परिवर्तन (284 किलोमीटर)	2913
9.	रतलाम-अकोला आमान परिवर्तन (525 किलोमीटर)	6384
10.	इटारसी-नागपुर तीसरी लाइन (280 किलोमीटर)	2450
11.	झाँसी-बीना तीसरी लाइन (153 किलोमीटर)	2002
12.	मथुरा-झांसी तीसरी लाइन (274 किलोमीटर)	5924
13.	झाँसी- मानिकपुर और खिरार-भीमसेन दोहरीकरण (431 किलोमीटर)	4330
14.	कटनी-बीना तीसरी लाइन (260 किलोमीटर)	3138
15.	कटनी- ग्रेड सेपरेटर/बायपास (35 किलोमीटर)	2300

16.	कटनी-सिंगरौली दोहरीकरण (257 किलोमीटर)	4377
17.	सतना-रीवा दोहरीकरण (50 किलोमीटर)	590
18.	नीमच-रतलाम दोहरीकरण (133 किलोमीटर)	1096
19.	भुसावल-खंडवा तीसरी और चौथी लाइन (131 किलोमीटर)	3285

रेल परियोजना(ओं) का पूरा होना विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है, जैसे राज्य सरकार द्वारा त्वरित भूमि अधिग्रहण, वन विभाग के अधिकारियों द्वारा वन संबंधी मंजूरी, अतिलंघनकारी जनोपयोगी सुविधाओं का स्थानांतरण, विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक मंजूरी, क्षेत्र की भूवैज्ञानिक और स्थलाकृतिक स्थितियां, परियोजना/परियोजनाओं के क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति, विशिष्ट परियोजना स्थल के लिए एक वर्ष में कार्य के महीनों की संख्या आदि। ये सभी कारक परियोजना/परियोजनाओं के समापन समय और लागत को प्रभावित करते हैं।

*****